न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2019

प्रार्थी

1. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह उम्र 39 वर्ष जाति राजपूत निवासी 1–ग, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली हाल 214, 364 आशापूर्णा टाऊनशिप, जोधपुर रोड़, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज0)

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्धान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:आदेशः–

दिनांक 28.3.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 390/2 बीघा भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 390/2 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 388 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 390/2 के उत्तरी दिशा में स्थित डामर रोड़ तक लम्बा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना–पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट/2019/38 दिनांक 10–01–19 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/19/1965 दिनांक 21–02–2019 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि ग्राम बल्दों की ढाणी खसरा नंबर 390/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी सोयम राजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पाली की खातेदारी भूमि है। ग्राम बल्दों की ढाणी के खसरा नंबर 388 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी सोयम सिवायचक दर्ज है जिसमें से खसरा नंबर 390/2 में जाने हेतु रास्ते के लिये आवेदन किया गया है। खसरा नंबर 388 मौके पर व नक्शा लट्ठा ट्रेस में दो भागों में विभक्त है परन्तु जमाबंदी में खसरा एक ही दर्ज है जिसे नजरी नक्शा मानचित्र में दर्शाया है। आवेदित भूमि मौके पर खाली पड़ी है आवेदक उक्त खसरे का चिन्हित हिस्सा की भूमि का उपयोग रास्ते हेतु करता आ रहा है। आवेदित रास्ते की आवश्यकता इसलिए पड़ी की रेकर्ड में रास्ता नहीं है तथा उक्त भूमि किसी अन्य को भविष्य में आंवटित होने पर परेशानी से बचने हेतु आवेदन किया है। उक्त रास्ते का उपयोग कृषि कार्य के लिए चाहा गया है केवल सुविधा मात्र के लिये नहीं चाहा गया है। प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

खसरे में जाने बाबत अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खसरे की भूमि का उपयोग वर्तमान में गैर कृषि कार्य हेतु नहीं कर रहा है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 388 में से 20 फिट चौड़ा व 132 लम्बा कुल क्षेत्रफल 2640 वर्गफिट अर्थात् 03 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है। कृषि असिंचित भूमि ग्राम बल्दों की ढाणी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,55,268/– प्रति बीघा से 03 बिस्वा की कीमत 23,290/– व दुगनी राशि 46,580/– अक्षरे छियालिस हजार पांच सौ अस्सी रूपये होती है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि कोई पक्का निर्माण और वृक्ष नहीं है।

3. बहस प्रा0पत्र उभयपक्ष की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने माफिक भू0अ0नि0, खेतावास की जांच रिपोर्ट के अनुरूप एवं नजरी नक्शा के अनुरूप रास्ता दिये जाने का निवेदन किया तथा जो कॉस्ट जमीन की है वे अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी को रास्ता हेतु भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

4. अतः तहसीलदार, पाली की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर जांच रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम बल्दों की ढाणी में स्थित खसरा नंबर 388 में से 20 फिट चौड़ा व 132 लम्बा कुल क्षेत्रफल 2640 वर्गफिट अर्थात् 03 बिस्वा भूमि जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे कृषि असिंचित भूमि ग्राम बल्दों की ढाणी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,55,268/– प्रति बीघा से 03 बिस्वा की कीमत 23,290/– व दुगनी राशि 46,580/– अक्षरे छियालिस हजार पांच सौ अस्सी रूपये प्रार्थी से तहसीलदार, पाली द्वारा राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थी के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थी को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

(मुहर: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली)

यह आदेश आज दिनांक 28.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner